हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र./1543/अधिष्ठाता/शोध/2022 दुर्ग, दिनांक : 20 / 07 /2022

// सूचना //

(विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक के अंतिम अवसर के संबंध में शोध केन्द्रों/शोध निर्देशकों हेतु)

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक–45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के अनुक्रम में समस्त **शोध केन्द्रों/शोध निर्देशकों** को सूचित किया जाता है कि–

1. कोविड–19 की विषम परिस्थितियों में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए पी–एच. डी. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021 में उत्तीर्ण तथा पी–एच. डी. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021 में यू. जी. सी. के नियमानुसार छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक में सम्मिलित होने का **अंतिम अवसर** प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया है।
2. **विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शोध केन्द्रों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक शोध केन्द्रों में दिनांक 25/07/2022 से 05/08/2022 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।**
3. उक्त बैठक में पी–एच. डी. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021 में उत्तीर्ण तथा पी–एच. डी. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021 में यू. जी. सी. के नियमानुसार छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को ही सत्र 2022 की विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक में सम्मिलित होने के इस **अंतिम अवसर** में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त शोध केन्द्र/शोध निर्देशक विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक–45 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त शोध निर्देशक विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 525/अका./शोध/2018, दुर्ग दिनांक 14/09/2018 वर्गवार आबंटित सीट का अनिवार्य रूप पालन करना सुनिश्चित करे।
6. शोध केन्द्र DRC की बैठक में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से पी–एच.डी. आवेदन के समय मांगी गई समस्त दस्तावेजो की 2 सेट पी–एच.डी. प्रवेश फार्म/पंजीयन सहित जमा करावें एवं उक्त दोनों सेट के पंजीयन फार्म में शोध निर्देशक हस्ताक्षरित सहमति देवे एवं अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति को Verifiy कर शोध केन्द्र में प्रवेश देना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित शोध केन्द्र अभ्यर्थी को शोध केन्द्र में प्रवेश देने के पूर्व आवश्यकतानुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) अनिवार्य रूप से लेवें। छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालयों को छोड़ कर अन्य विश्वविद्यालयों (छत्तीसगढ़ के निजी/राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालय) हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. शोध केन्द्र अभ्यर्थियों से उनके नियोक्ता द्वारा प्रदाय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अनिवार्य रुप से लेवें।
9. अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् चयनित शोध केन्द्र में दिनांक 16/08/2022 तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद शोध केन्द्रों में प्रवेश नही दिया जावेगा।

10. समस्त शोध केन्द्र विभागीय शोध समिति में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे संबंधित शोध निर्देशक/सह–शोध निर्देशक के हस्ताक्षरित सहमति प्राप्त हो चुका है एवं शोध केन्द्र में शुल्क जमा कर प्रवेश ले लिया गया है उनकी सूची संलग्न प्रारूप अनुसार जानकारी भर कर पी–एच.डी. सेल में दिनांक 22/08/2022 तक अनिवार्य रूप से जमा करावें।

11. पी–एच.डी. कोर्स–वर्क अध्ययन समय सीमा दिनांक 25/08/2022 से 25/02/2023 अर्थात छः माह की होगी तद्पश्चात् पी–एच.डी. कोर्सवर्क परीक्षा आयोजित किया जावेगा।

12. समस्त शोध केन्द्र उक्त प्रवेशित शोधार्थियों के पी–एच.डी. कोर्स–वर्क की नियमित कक्षायें शोध केन्द्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से प्रारंभ करें।

13. विश्वविद्यालय नियमानुसार अन्य पाठ्यक्रमों समरुप पी–एच.डी. कोर्स–वर्क के शोधार्थियों की उपस्थिति शोध केन्द्रों में न्यूनतम 75% होना अनिवार्य है। पर्याप्त उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में पी–एच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी। जिसके लिए शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

14. समस्त शोध केन्द्र पी–एच.डी. शोधार्थियों की उपस्थिति का अनिवार्य रुप से संधारण करें।

15. अध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र द्वारा कोर्स–वर्क की गतिविधियों की जानकारी तथा शोधार्थी की शोध केन्द्र में उपस्थिति की जानकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर पी–एच.डी. सेल, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

16. यह कि उपयुर्क्त कंडिका 13 अनुसार शोध केन्द्र द्वारा शोधार्थी की उपस्थिति की जानकारी हेतु उपस्थिति पत्रक विश्वविद्यालय पी–एच.डी. सेल को प्रत्येक माह प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पी–एच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जावेगी। जिसके लिए संबंधित शोध केन्द्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

17. अध्यादेश–45 के प्रावधानानुसार मान्य विश्वविद्यालय से एम.फिल. उत्तीर्ण योग्य आवेदकों को विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा एम. फिल. की मूल अंकसूची की जॉच पश्चात् अनुशंसा पर कोर्सवर्क से छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ऐसे आवेदन विभागीय शोध समिति के निर्णयानुसार शोध निर्देशक के निर्देशन में शोध रूपरेखा तैयार करेगें।

18. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे पी–एच.डी. कोर्स–वर्क से छूट प्राप्त है वे भी नियमतः संबंधित शोध केन्द्र में कोर्स–वर्क की कक्षाये पूरी कर पी–एच.डी. कोर्स–वर्क परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

19. समस्त शोध केन्द्र शोधार्थियों को प्रयोगशाला, कम्प्यूटर, ग्रंथालय तथा अन्य आवश्यक संसाधन अनिवार्य रुप से उपलब्ध करावें।

20. कोरोना संकट को देखते हुये समस्त शोध केन्द्र कोरोना से रोकथाम हेतु जारी शासन के नियमों एवं निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

पृ.क्र./1544/अधिष्ठाता/शोध/2022 दुर्ग, दिनांक : 20/07/2022

प्रतिलिपिः

1. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यालय फाईल।

20/7/22

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

महाविद्यालय का नाम

विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक में चयनित अभ्यर्थियों की सूची

विषय : ....

विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक दिनांक ....

क्र.	शोधार्थी का नाम	वर्ग	शोध निर्देशक का नाम पद का नाम कार्यरत महाविद्यालय का नाम	सह–शोध निर्देशक का नाम पद का नाम कार्यरत महाविद्यालय का नाम	शोध केन्द्र का नाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

प्राचार्य
(हस्ताक्षर एवं सील)